बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–:: संकल्प ::–

पटना–15, दिनांक.....

श्री विकास कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–699/2024, (851/2023) तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद सम्प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने, निरीक्षण के क्रम में निर्धारित ड्रेस कोड में नहीं रहने, बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये वाणावर श्रावणी मेला में झूला लगाने की अनुमति प्रदान करने, मेला परिसर के विधि व्यवस्था का सम्पूर्ण प्रभार दिये जाने के बावजूद प्रतिनियुक्ति स्थल से अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 12.08.2024 को लगभग 01.00 बजे पूवार्ह्न में बराबर पहाड़ी स्थिति बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण के पास स्थानीय दुकानदार तथा श्रद्धालु के बीच विवाद में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होने के कारण 07 श्रद्धालुओं की मौत एवं कई श्रद्धालु के घायल होने संबंधी आरोप पत्र जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक–29 (मु०) दिनांक 20.08.2024 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। साथ ही, आरोपों की वृहद जाँच हेतु संकल्प ज्ञापांक–15398 दिनांक 26.09.2024 विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

जाँच आयुक्त–सह–अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के पत्रांक–103 दिनांक 16.12.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप सं०–01, 02, 04, 05 एवं 06 को अप्रमाणित तथा आरोप सं०–03 को आंशिक प्रमाणित पाया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर पत्रांक–23998 दिनांक 26.12.2025 द्वारा लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार का लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन (दिनांक 10.01.2026) प्राप्त हुआ।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उक्त जाँच प्रतिवेदन पर आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि :–

(i) वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 25.07.2024 को गयी समीक्षात्मक बैठक में दिये गये मौखिक निदेश के आलोक में थानाध्यक्ष, बराबर द्वारा मेला परिसर में झूला लगाने के संबंध में आपत्ति प्रेषित की गयी थी। पुनः उसी थानाध्यक्ष, बराबर द्वारा उसी बैठक में दिये गये मौखिक

आदेश के आलोक में छोटा झूला जिसकी अधिकतम क्षमता 25 व्यक्ति की होगी, को लगाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में अनुशंसा प्रेषित की गयी है।

(ii) छोटा झूला लगाने के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। परन्तु थानाध्यक्ष, बराबर एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल के अनापत्ति पत्र अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुमति निर्गत करने के उपरांत दिया गया है, जिसे यह स्पष्ट होता है कि श्री कुमार द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये झूला लगाने की अनुमति निर्गत की गयी है।

सम्यक समीक्षोपरांत श्री कुमार से प्राप्त लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के संगत प्रावधानों के तहत संकल्प ज्ञापांक–3519 दिनांक 19.02.2026 द्वारा "निन्दन" (आरोप वर्ष–2024–25) का दंड अधिरोपित किया गया।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विचार/पुनर्विलोकन अभ्यावेदन (दिनांक 05.03.2026) समर्पित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से इनका कहना है कि :–

(i) अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद/सक्षम पदाधिकारी के तौर पर विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा, उक्त स्थल पर परम्परागत रूप से मेला के दौरान झूला का अधिष्ठापन एवं अन्य संबंधित पहलूओं को ध्यान में रखते हुए छोटे झूला के परिचालन हेतु सशर्त्त अनुमति प्रदान की गयी थी तथा उक्त छोटे झूला अधिष्ठापन से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई।

(ii) सिर्फ छोटे झूले के अस्थायी अधिष्ठापन हेतु निर्गत किये गये सशर्त्त अनुमति पत्र की कंडिका–10 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि मेला में लगाये जाने वाले सभी प्रकार झूलों के परिचालन से पूर्व आवश्यक तकनीकी जाँच प्रमाण पत्र प्रबंधक (आयोजक) द्वारा कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा तथा संदर्भित आदेश में ही झूला के निर्बाध एवं विधिपूर्वक परिचालन कराये जाने का दायित्व संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों की था, परन्तु संचालित विभागीय कार्यवाही में क्षेत्रीय पदाधिकारी (अंचल अधिकारी, मुखदुमपुर) को उनके विरूद्ध गवाह बना दिया गया।

(iii) न्यायसंगतता एवं दंड की अनुपातिकता के सिद्धांतो को ध्यान में रखते हुए अधिरोपित दंड को क्षांत करने का अनुरोध किया गया है।

श्री कुमार से प्राप्त उक्त अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार द्वारा अपने पुनर्विचार/पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उन्ही बातों को दोहराया गया है, जो पूर्व में विभाग में समर्पित अपने लिखित अभिकथन में भी कहा गया था, जिसकी सम्यक समीक्षोपरांत ही अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध दंड अधिरोपित किया गया। श्री कुमार द्वारा अपने पुनर्विचार अभ्यावेदन में ऐसा कोई नया तथ्य/साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिसकी समीक्षा/पुनर्विचार किया जा सके।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री विकास कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–699/2024, (851/2023) तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद सम्प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर से प्राप्त पुनर्विचार/पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(उमेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–08/आरोप–01–14/2024 सा०प्र०, 6015 **/पटना, दिनांक** 02.4.26

प्रतिलिपि–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/भागलपुर/श्री विकास कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–699/2024, (851/2023) अनुमंडल पदाधिकारी, सदर भागलपुर/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14 एवं 29/आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट (मुख्य शीर्ष–09) पर अपलोड करने हेतु)/संयुक्त सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी, मुख्यमंत्री ई–कम्पलायन्स डैशबोर्ड (संदर्भ संख्या–2026009446), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02.4.26
सरकार के अवर सचिव।